न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

[illegible] = 15/560

मुकट लाल आत्मज श्री रामनाथ जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम लेसरदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. स्व0 कैलाश आत्मज स्व0 श्री माधो जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम लेसरदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी जरिये कायममुकामान :–
   1/1. श्रीमती प्रेमबाई विधवा पत्नी स्व0 कैलाश चन्द ।
   1/2. दाऊशंकर
   1/3. सूर्य प्रकाश पिसारान स्वर्गीय श्री कैलाश चन्द जाति ब्रह्मण निवासीगण ग्रम लेसरदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   1/4. श्रीमती ममता पुत्री स्वर्गीय कैलाश चन्द पत्नी श्री संजय कुमार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम डूंगरपुर तहसील सांगोद जिला कोटा ।
   1/5. श्रीमती सुनीता पुत्री स्व0 कैलाश पत्नी श्री प्रेमशंकर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सुवांसा तहसील बून्दी ।
   1/6. श्रीमती अनिता पुत्री स्व0 श्री कैलाश चन्द पत्नी श्री ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम लेसरदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार राजकीय अभिभाषक, कोटा

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कृष्ण दत्त दाधीच, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 06.02.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18.11.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 मृतक कैलाश ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत ग्राम लेसरदा की आराजी खसरा नम्बर 38 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 64 रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 67 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 669 रकबा 08 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 7171 रकबा

नम्बर 840 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नपम्बर 888 रकबा 12 बिस्वा, रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, खसराा नम्बर 1917 रकबा 17 बीघा 02 बिस्वा भूमि वाद प्रस्तुत कर वादी का व्राद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

न्यायालय ने उक्त वाद को स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.11.2015 के द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.11.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, के0 पाटन को विभाजन आराजी के सम्बन्ध में नियमानुसार प्रस्तावित विभाजन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था । तहसीलदार ने राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना किये बिना ही एकपक्षयी त्रुटिपूर्ण एवं मानमानी रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित कर दी । बादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट हेतु अपीलान्ट को कोई नाटिस /सूचना नहीं दिया गया । तहसीलदार ने मनमाने तरीके से मौका विभाजन रिपोर्ट तैयार कर उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी । प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार, के0 पाटन द्वारा प्रेषित प्रस्तावित विभाजन रिपोर्ट दिनांक 10.05.2013 पर प्रतिवादी अपीलान्ट द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस समाअत की गई थी । अधीनस्थ न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र निर्णित कर मूल वाद में अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित करने के सम्बन्ध में बहस समाअत कर अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पलाना किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । अधीनस्थ न्यायालय को अच्दी में से अच्छी एवं बुरी में बुरी भूमि का दोनों पक्षों के बीच समान रूप से विभाजन करना चाहिए । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18.11.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादी रेस्पोडेन्ट का 1/2 हिस्सा है और अधीनस्थ न्यायालय ने उसके हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है । प्राथमिक डिक्री के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अपीलान्ट प्रकरण को लम्बा करने की नीयत से अपील लेकर आया है । अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की है । तहसीलदार, के0 पाटन ने विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्णतया पालना करते हुए उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित की है । अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय में त्रुटि की हो । प्रस्तुत प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट को नोटिस दिया गया जिसे उसके घरवालों ने लेने से मना कर दिया जिस पर उक्त नोटिस गवाह के समक्ष उसके घर पर चस्पा किया गया इस प्रकार अब अपील स्तर पर अपीलान्ट यह प्ली नहीं

अधीनस्थ न्यायालय ने उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया । अपीलान्ट प्रस्तुत प्रकरण को लम्बा करना चाहता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रकिया को अपनाते हुए उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक .11.2015 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किय एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया जिससे साबित है कि वादग्रस्त आराजी में वादी रेस्पोडेन्ट एवं प्रतिवादी अपीलान्ट दोनों का बराबर–बराबर अर्थात् 1/2 – 1/2 हिस्सा निहित है। अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के हिस्से अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए पक्षकारान के मध्य प्राथमिक डिक्री के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पक्षकारान के मध्य अंतिम डिक्री पारित की है । प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.12.1983 को ही पारित की जा चुकी है ।

9. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.12.1983 को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन हेतु तहसीलदार, के0 पाटन ने राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये । अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित की है । प्रस्तुत प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति हेतु अपीलान्ट को सूचित नोटिस भिजवाया गया जिसे उसके परिवार वालों ने लेने से इंकार कर दिया जिस पर तामील कुनिन्दा द्वारा गवाहान की उपस्थिति में नोटिस उसके मकान पर चस्पा किया गया जिससे अपीलान्ट पर उसकी तामिली प्रोपर मानी गई । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्णतया पालना करते हुए उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे उसके कथनों की पुष्टि होती हो । अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है – हम अपीलान्ट के उक्त कथन से सहमत नहीं हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव पारित करते समय राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्णतया पालना करते हुए उक्त निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । चूँकि यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 19.12.1983 को पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित हो चुकी थी उसके पश्चात् भी अपीलान्ट उक्त निर्णय एवं अंतिम डिक्री से सहमत नहीं है क्योंकि वह जानबूझकर न्याय मिलने में विलम्ब करना चाहता है जिससे वादी रेस्पोडेन्ट से हित प्रभावित हो रहे हैं । न्यायालय का भी दायित्व है कि पक्षकारान को प्राथमिकता से न्याय मिले और न्याय में अनावश्यक तकनीकी आधार पर विलम्ब न हो । अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन नियमों की पूर्णतया पालना की है और विभाजन प्रस्ताव में तहसीलदार द्वारा नक्शा बनाया गया है जिसे अभिलेख पर रखते हुए प्रत्येक पक्षकार को दिया गया भूखण्ड अलग–अलग रंगों में दिखाया गया है । प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग का मूल्यांकन उस जोत में उसके हिस्से (शेयर) से आनुपातिक किया गया हैं । प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग यथासंभव एक साथ किया गया है । जहॉ तक संभव था, किसी पक्षकार को सारी हलकी या सारी उत्तम कोटि की भूमि नहीं दी गई है, विद्यमान खेतों के टुकडे नहीं किये गये हैं, भूखण्ड जो किसी अभिधारी के अलग कब्जे में था, यथासंभव, उनको उस अभिधारी को आवंटित

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए उक्त निर्णय एंव अंतिम डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18.11.2015 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 06.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

पील संख्या : 15/560

मुकट लाल आत्मज श्री रामनाथ जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम लेसरदा तहसील के0 पाटन जिल बून्दी ।

—अपीला

बनाम

1. स्व0 कैलाश आत्मज स्व0 श्री माधो जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम लेसरदा तहसील के0 पाट जिला बून्दी जरिये कायममुकामान :—
   1/1. श्रीमती प्रेमबाई विधवा पत्नी स्व0 कैलाश चन्द ।
   1/2. दाऊशंकर
   1/3. सूर्य प्रकाश पिसारान स्वर्गीय श्री कैलाश चन्द जाति ब्रह्मण निवासीगण ग्रम लेसर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   1/4. श्रीमती ममता पुत्री स्वर्गीय कैलाश चन्द पत्नी श्री संजय कुमार जाति ब्राह्मण निवा ग्राम डूंगरपुर तहसील सांगोद जिला कोटा ।
   1/5. श्रीमती सुनीता पुत्री स्व0 कैलाश पत्नी श्री प्रेमशंकर जाति ब्राह्मण निवासी ग्र सुवांसा तहसील बून्दी ।
   1/6. श्रीमती अनिता पुत्री स्व0 श्री कैलाश चन्द पत्नी श्री ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवा ग्राम लेसरदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

—प्रत

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.11.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिका कोटा जिला कोटा ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 225/दावा/2008

1. स्व0 कैलाश आत्मज स्व0 श्री माधो जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम लेसरदा तहसील के0 पा जिला बून्दी जरिये कायममुकामान :—

...ी प्रेमबाई विधवा पत्नी स्व0 कैलाश चन्द ।
...शंकर
... सूर्य प्रकाश पिसारान स्वर्गीय श्री कैलाश चन्द जाति ब्रह्मण निवासीगण ग्रम लेसरदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

1/4. श्रीमती ममता पुत्री स्वर्गीय कैलाश चन्द पत्नी श्री संजय कुमार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम डूंगरपुर तहसील सांगोद जिला कोटा ।

1/5. श्रीमती सुनीता पुत्री स्व0 कैलाश पत्नी श्री प्रेमशंकर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सुवांसा तहसील बून्दी ।

1/6. श्रीमती अनिता पुत्री स्व0 श्री कैलाश चन्द पत्नी श्री ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम लेसरदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

--वादी

बनाम

1. मुकट लाल आत्मज श्री रामनाथ जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम लेसरदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

--प्रतिवा...

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा .के निर्ण... एवं डिकी दिनांक 18.11.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण हो... से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 06.02.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता ... रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री कृष्ण दत्त दाधीच उपस्थित आने पर यह आदेश दिया ... अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डि... दिनांक 18.11.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिकी आज तारीख 06.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी ग...

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, ...